न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई, जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारीः सुरेश कुमार हरसोलिया, आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं०– 86/2021

प्रविष्टि दिनांक–16.8.2021

1. मदनलाल पुत्र बजरंगलाल जाति जाट निवासी डोडवाडी तहसील पीपलू, जिला टोंक

बनाम वादी

1. मूली देवी पत्नी रामरख जाति जाट निवासी विजयपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
2. गोकुल पत्नी गोपाल जाति जाट निवासी देवपुरा तहसील व जिला टोंक
3. तहसीलदार निवाई

प्रतिवादीगण

उपस्थितः– श्री रामअवतार शर्मा वकील वादी

श्री सवाई भोज गुर्जर, वकील प्रतिवादी सं० 1 व 2

वाद पत्र बाबत– घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज
निर्णय

दिनांक– 18/3/25

अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत घोषणा खातेदारी एवं दुरूस्ती इन्द्राज मे अंकित संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि खसरा नंबर 524/454 रकचा 1 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा नंबर 525/454 रकबा 8 बिस्वा वाके ग्राम नांगल नरहर पटवार हल्का करेगु बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोक में स्थित है जिसका वादी एक मात्र खातेदार काश्तकार है। वादी ने प्रतिवादी सं0 1 व 2 से उनके खातदार एवं कब्जेकाश्त की भूमि खसरा नंबर 523/454 रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा एवं खसरानबर 524/454 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम नांगर नरहर को प्रतिवादी सं० 1व 2 से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र से कय कर कब्जा प्राप्त किया है। तभी से वादी उक्त भूमि का मालिक काबिज काश्तकार चला आ रह है। लेकिन खसरा नबर 523/524 रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा मे 10 बीघा 13 बिस्वा भूमि का ही नामान्तरकरण वादी के नाम खोला गया, 8 बिस्वा भूमि बिना किसी हक व अधिकार के पटवार हल्का द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र मे से छोडकर प्रतिवादी सं० 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड मे रखकर उसको खसरा नंबर 525/454 रकबा 8 बिस्वा अलग से अंकित कर दिया और प्रतिवादी सयं० 1 व 2 के नाम दर्ज कर दी। जबकि उक्त खसरा नबर को सम्पूर्ण रकबा वादी द्वारा कय किया गया है तथा खसरा नंबर 524/454 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा सम्पूर्ण ही छोड़ दिया गया है। नामान्तरकरण पर उसके खारिज व स्वीकार का कोई अंकन नहीं किया गया। अतः खसरा नम्बर 523/454 रकबा 11 बीघा 1 बिसवा में से शेष रही भूमि खसरा नम्बर 525/454 रकबा 8 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 524/454 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा नांगरल नरहर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं0 1 व 2 का नाम हटाया जावे बतौर खातेदार वादी के नाम दर्ज इन्द्राज कर रिकॉर्ड दुरूस्ती की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

Scanned with CamScanner

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

वादीगण की ओर से साख्य दस्तावेज के रूप में जमाबंदी सं0त 2067–70, 2071–74, नामान्तकरण 406, 459 विकय पत्र आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण में प्रतिवादी सं0 1 व 2 की ओर से इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया जिसमें अंकितानुसार वाद पत्र में चाही गई इस्तदुआ स्वीकार है। वाद डिकी कर दिया जावे प्रतिवादी सं0 1 व 2 को कोई आपत्ति नहीं है।

इसके पश्चात वाद पत्र पर बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता उभय पक्ष ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस करी। बहस का पृथक से विवेचन नही किया जा रहा है।

हमने वाद पत्र, साक्ष्य दस्तोवजों एवं प्रतिवादी सं० 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया। वाद पत्र में अंकित तथ्य कि वादी ने प्रतिवादी सं० 1 व 2 से उक्त वादग्रस्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र से कय किया है" इस तथ्य के परीक्षण के लिए पत्रावली पर उपलब्ध विकय पत्र का अवलोकन किया गया, जिसमे पाया गया कि प्रतिवादी सं० 1 व 2 द्वारा खसरानंबर 523/454 रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा व खसरा नंबर 524/454 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा का विक्रय किया गया है। इस प्रकार यह तथ्य तो वादी का साबित है। इस विकय पत्र के आधार पर ही नामान्तरकरण सं० 459, खसरा नंबर 523/454 रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा एव खसरा नंबर 524/454 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा के संबंध मे भरा जाकर, स्वीकार किया गया है। इसका जमाबंदी में अमल नहीं हुआ। इसके पश्चात वादी केता ने खसरा नंबर 523/454 में से रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा का बेचान कर दिया जिसके संबंध में नामान्तरकरण सं0 470 भरा गया। इसके विपरीत जमाबंदी देखने पर ज्ञात हुआ है कि वर्तमान में खसरा नंबर 524/454 प्रतिवादी स0 1 व 2 के नाम है तथा खसरा नंबर 523/454 रकबा 10 बीघा 13 केता देवाराम पुत्र नाथूलाल आदि के नाम अंकित है जो नामान्तरकरण सं० 470 दिनांक 25.10.2023 से दर्ज हुआ है तथा शेष रकबा प्रतिवादी सं० 1 व 2 के नाम दर्ज है। अर्थात उक्त त्रुटि संभवतः नामान्तरकरण के भरते समय सहवन से हुई है, जिसके लिए प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने भी इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर स्वीकारोक्ति जवाब दिया है। राजस्व रिकॉर्ड में अंकन से शेष रही त्रुटि को सही करवाने का वादी हकदार है, वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र उक्त भूमि कय की थी लेकिन तत्समय वादी द्वारा कय की गई सम्पूर्ण भूमि का वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं हुआ है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार करना न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

फलतः वाद का वादी घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज बाबत भूमि आराजी खसरा नंबर 524/454 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा नंबर 525/454 रकबा 8 बिस्वा वाके ग्राम नांगल नरहर पटवार हल्का करेडा बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोक स्वीकार किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार निवाई को आदेश दिया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकाई मे अंकन कर पालना से अवगत करावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18/3/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया

(सुरेश कुमार [illegible])
उपखण्ड अधिकारी निवाई

उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)

Scanned with CamScanner